

## प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 20/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

### भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 24.02.2023 : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2023 की समीक्षा पर मसौदा विनियम और इस विनियम के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। मसौदा विनियमों और दिशानिर्देशों का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

2. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दूरसंचार सेवाओं की मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता विनियामक की प्रमुखता रही है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने 21 मार्च 2006 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2006 को अधिसूचित किया था। इन विनियमों में मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए एक अभ्यास संहिता शामिल है जिसका अनुपालन सभी बुनियादी सेवा प्रदाताओं, एकीकृत पहुँच सेवा प्रदाताओं और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए। सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2006 में संशोधन 25.03.2013 को जारी किया गया था।

3. समय के साथ, दूरसंचार नेटवर्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कई नई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदान की जाने वाली सेवाओं के टैरिफ में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से असीमित डेटा या वॉयस के साथ दैनिक/ मासिक/ वार्षिक आधार पर निश्चित टैरिफ प्लान की शुरुआत के बाद। ये सभी नए टैरिफ ऑफर फेयर यूसेज पॉलिसी (एफयूपी) के तहत कुछ सीमाओं के साथ असीमित उपयोग प्रदान करते हैं, जिससे बिलिंग का फोकस आइटमयुक्त से दैनिक आधार पर डेटा या वॉयस या एसएमएस की प्रतिबद्ध मात्रा या सबस्क्राइब्ड टैरिफ ऑफर की वैधता समाप्त होने पर स्थानांतरित हो जाता है।

4. वॉइस ओवर डेटा ले जाने वाले नए आईपी आधारित नेटवर्क जैसे एलटीई/5जी प्रौद्योगिकियों ने अब बिलिंग को प्रति सेकंड/ मिनट आधारित बिलिंग से डेटा वॉल्यूम आधारित बिलिंग में स्थानांतरित कर दिया है। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उपभोक्ताओं को

दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं की सटीक बिलिंग के लिए उन्नत, मजबूत और मापनीय आईटी उत्पाद रखें।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण ने 1 सितंबर 2020 को "सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2006 की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी करके एक सार्वजनिक परामर्श किया, जिसमें क्रमशः 27 अक्टूबर 2020 और 10 नवंबर 2020 तक हितधारकों की टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां मांगी गईं।

6. प्रतिक्रिया में, प्राधिकरण को 13 हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 1 प्रति-टिप्पणी प्राप्त हुई, ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई और बाद में हितधारकों और पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इन प्रारूप विनियमों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सूचनाओं/टिप्पणियों पर विचार किया गया है। हालांकि, इस विषय पर पिछले नियमों और उनके संशोधनों को निरस्त करके अंतिम नियम जारी करने से पहले, प्राधिकरण ने मसौदा नियमों और दिशानिर्देशों को हितधारकों के विचार के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखने का फैसला किया है, ताकि हितधारक अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, दे सके।

7. हितधारकों से मसौदा नियमों और दिशानिर्देशों पर 17 मार्च 2023 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (QoS-1), भादूविप्रा को ईमेल: [adv-qos1@traai.gov.in](mailto:adv-qos1@traai.gov.in) पर भेजी जा सकती हैं।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (QoS-1), भादूविप्रा से ईमेल: [adv-qos1@traai.gov.in](mailto:adv-qos1@traai.gov.in) या दूरभाष संख्या: +91-11-2323-3602 पर संपर्क किया जा सकता है।



(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा